राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3011/2025

सादिका अंसारी

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर सह अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी, जिला बूंदी, राजस्थान।
4. चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.06.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रवीण शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को अप्रैल 2009 से नर्स ग्रेड II के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था और उसे मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ में पदस्थापित करने का आदेश दिया गया था। उसके बाद उसने विभिन्न स्थानों पर नर्स ग्रेड II के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पालन किया है। अपीलार्थी वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कापरेन, जिला बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी किए गए आदेश संख्या 30 दिनांक 15.01.2025 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कापरेन जिला बूंदी से उप–जिला अस्पताल, सालावास जोधपुर में स्थानांतरित/पदस्थापित करने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 30 पर है। स्थानांतरण अधिशेष होने के आधार पर किया गया है। (अनुलग्नक–1) दिनांक 15.01.2025 के आदेश के अनुसरण में, प्रत्यर्थी संख्या 4 ने दिनांक 20.01.2025 के आदेश के तहत अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के कार्यालय में शामिल होने के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। अपीलार्थी के 6 और 9 वर्ष की आयु के दो बच्चे हैं। (अनुलग्नक–2) जिला बूंदी में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए अपीलार्थी के स्थानांतरित

स्थान की दूरी लगभग 450 किमी है। अपीलार्थी पिता और सास बीमार हैं, इसलिए, उनके लिए जोधपुर में अपने कर्तव्यों का पालन करना मुश्किल है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 15.01.2025 का आलौच्य आदेश (अनुलग्नक–1) और दिनांक 20.01.2025 का पुनर्विचार आदेश निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कापरेन, जिला बूंदी में बिना किसी व्यवधान या अवकाश के अपने कर्तव्यों का पालन करने की निर्देश दिए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य